राजस्थान सरकार

राजस्थान अपराधी परिवीक्षा नियम, 1962

समाज कल्याण विभाग, जयपुर।

राजस्थान अपराधी परिवीक्षा नियम, 1962

राजस्थान अपराधी परिवीक्षा नियम 1962 जयपुर अधिसूचना 1 अक्टूबर, 1962 क्रमांक एफ. 12|13|एस.डब्ल्यू.6।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 17 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन, राज्य सरकार ने निम्न नियम बनाए जो पूर्व में राजस्थान राज पत्र विशेष भाग-3|बी|, दिनांक 2 जनवरी, 1962 को प्रकाशित कि तथा वे केन्द्रीय शासन द्वारा धारा 17|1| में चाहे अनुसार अनुमोदित किए गए।

1- प्रारंभिक

1 **संक्षिप्त नाम-** इन नियमों को राजस्थान अपराधी परिवीक्षा नियम, 1962 कहा जा सकेगा।

2 **परिभाषाएँ-** इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

क-"अधिनियम" से अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958|केन्द्रीय अधि. 1959 का सं.20|अभिप्रेत है।

ख-"मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी" से नियम-4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से अभिप्रेत है।

ग-"मुख्य परिवीक्षा अधिकारी"से राज्य शासन द्वारा नियम 3|3|में नियुक्त अधिकारी से अभिप्रेत है।

घ-"प्रपत्र"से इन नियमों से परिशिष्ट से अभिप्रेत है।

च-"भागिक कालिक परिवीक्षा अधिकारी"से सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी को छोड़कर अन्य परिवीक्षा अधिकारी जो राज्य शासन द्वारा धारा 13|1||ख|के अधीन मान्यता प्राप्त हो अथवा धारा 13|1||ख| के अधीन मान्यत प्राप्त संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए हो और जो फीस अथवा पारिश्रमिक दिया जाता हो या कि वेतन से, अथवा वे बिना वेतन कार्य करते हों, से अभिप्रेत है।

छ-परिवीक्षा जिला से अभिप्रेत है शासन द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा जिला।

ज-"पर्यवेक्षणधीन" से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध पर्यवेक्षण आदेश प्रभावशील है।

झ-"सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी"से अभिप्रेत है पूर्ण कालिक परिवीक्षा अधिकारी की जिन्हें राज्य शासन धारा 13|1||क|के अधीन नियुक्त करते है अथवा मान्यता देते है अथवा धारा 13|1||ख|के अधीन मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए हो जिन्हें पारिश्रमिक वेतन के रूप में दिया जाता है फीस अथवा.....के रूप में नहीं।

त-"विशेष परिवीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है परिवीक्षा अधिकारी जो न्यायालय द्वारा धारा |13||1||ग|के अधीन नियुक्त किया गया हो, एवं

ध-पर्यवेक्षण आदेश से अभिप्रेत है धारा 4|3|के अधीन पारित आदेश।

2-परिवीक्षा अधिकारियों का विभागीय नियन्त्रण

3 **परिवीक्षा अधिकारी एवं उसका नियन्त्रण:-**

1-इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य शासन प्रत्येक परिवीक्षा जिले में जितने आवश्यक समझे उतनी संख्या में परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त करें।

2-प्रत्येक जिले के सभी परिवीक्षा अधिकारीगण|चाहे वे राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये हो अथवा प्रमाणित किए गए हो| ऐसे परिवीक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में रहेंगे जिसे राज्य शासन विनिश्चित करे उसे जिला परिवीक्षा अधिकरी कहा जावेगा।

3-ये ऐसे राज्य के सभी परिवीक्षा अधिकारीगण राज्य शासन द्वारा नियुक्त मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में रहेंगे।

4 **मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी-** राज्य शासन इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपने अधिकारियों में से एक को मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो सभी परिवीक्षा अधिकारियों पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखेंगे। राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य एवं कर्तव्य मुख्य परिवीक्षा अधिकारी तथा जिला परिवीक्षा अधिकारी करेंगे।

मुख्य परिवीक्षा अधिकारी- मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के अधीन एवं नियन्त्रण में रहते हुए मुख्य परिवीक्षा के कार्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें सम्मिलित है-

(क) जिला परिवीक्षा अधिकारियों तथा परिवीक्षा अधिकारियों को नियन्त्रण, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण।
(ख) अपराधियों के पुर्नवसन के कार्यों के अन्य कार्यों में इस कार्य के प्रयोजन के लिए सहायता देना तथा ऐसे अन्य सम्बन्धित संस्था तथा जनता से सम्पर्क बनाए रखना।
(ग) मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा चाहे इस कार्य की सांख्यिकीय जानकारी अथवा अन्य प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट प्रेषित करना।
(घ) राज्य शासन अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा अन्य कर्तव्य करने दिया हो।

6 **जिला परिवीक्षा अधिकारी**-(1) जिला परिवीक्षा अधिकारी का मुख्यालय जिले के मुख्यालय अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी निश्चित करे उस स्थान मे रहेगा और उसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण परिवीक्षा जिले पर होगा जहा के लिए वह नियुक्त किया गया है।

(2) वह-

क-उसके क्षेत्राधिकार मे जो क्षेत्र है उस सम्पूर्ण क्षेत्र की परिवीक्षा के कार्य के लिये जिम्मेदार रहेगा।
ख-जिले के परिवीक्षा अधिकारियो के परिवीक्षा के कार्य का नियंत्रण, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करेगा।
ग-अपने क्षेत्र के पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों के व्यवहार, आचरण तथा प्रगति के सम्बन्ध मे तथा धारा 9 के अधीन रिपोर्ट समय-समय पर मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट देवेगे।
घ-मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, जिला दण्डाधिकारी तथा न्यायालय को जैसे मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अथवा राज्य शासन चाहे उसकी रिपोर्ट देवेगा।
च-मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अथवा मुख्य नियन्त्रक अधिकारी सौपे गये अन्य कार्य करेगे।

3-परिवीक्षा अधिकारी, नियुक्ति के लिए अर्हता और सेवाओं की शर्तें

7 **अवकाश-आपवैधिक अवकाश**-
क-राज्य शासन द्वारा राज्य के मुख्यालय मे नियोजित किये गये परिवीक्षा अधिकारियों को मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा,
ख-जिले के परिवीक्षा अधिकारी को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जावेगी।

8 **परिवीक्षा अधिकारी के साधारण गुण**-परिवीक्षा अधिकारी के नियुक्ति के लिए निम्न गुणों को ध्यान में रखना चाहिए:-
क-पर्याप्त शैक्षणिक पात्रता।
ख-अच्छा चरित्र तथा पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को कानून के पालन के लिए तथा उसके चरित्र एवं सामाजिक आचरण में सुधार के लिए तथा अपराध की ओर न झुकने का उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व।
ग-आयु तथा अनुभव की परिपक्वता,
घ-परिवीक्षा के कार्य के लिए उसका झुकाव, उत्साह एवं योग्य।

9 **सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारियों की अर्हता**-
क-राज्य शासन द्वारा सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी के निर्धारित अर्हता सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए होगी।
ख-प्रत्येक सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी को परिवीक्षा का कार्य सौपने के पूर्व वह उचित प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

10 **मानितकाल परिवीक्षा अधिकारी की अर्हता**-
जिले में मानितकाल परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जावेगी जो:-
1-स्नातक
2-तीस वर्ष से अधिक के आयु का,
3-जिले का निवासी,
4-जो परिवीक्षा के पर्यवेक्षण के कार्य के लिए पर्याप्त समय दे सकता है,
5-जिसे समाज कल्याण के कार्य का पर्याप्त अनुभव हो अथवा चरित्र निर्माण का अनुभव हो तथा
6-अधिनियम नव नियमों का ज्ञान हो।

11 **परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति तथा पंजीकरण**-

1-राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध मे साधारण नियमों की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

2-राज्य शासन भागितकाल परिवीक्षा अधिकारी को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से, संस्था, जिला दण्डाधिकारी अथवा मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा सुझाये गये नामों पर विचार करेगा।

3-(क)राज्य शासन द्वारा प्रमाणित सभी परिवीक्षा अधिकारियों के नाम, पूर्ण पते सहित मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा रखे गये रजिस्टर में पंजीबद्ध किए जावेंगे।

(ख)नामों की सूची-

1-राज्य शासन द्वारा नियुक्त परिवीक्षा अधिकारियों की,

2-संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी की,

3-भागितकाल परिवीक्षा अधिकारियों की जो जिला तथा निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवीक्षा के कार्य के लिए सेवाएं लेने के लिए कि जिनकी सूची उनकी जिला परिवीक्षा अधिकारी के पास रजिस्टर में होगी।

12 **विशेष परिवीक्षा अधिकारी-**

1-यदि उक्त क्षेत्र में कोई परिवीक्षा अधिकारी न हो अथवा नियम, 11(3)(ख) के सूची में कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध न हो अथवा किसी मामले में ध्यान देना उचित न समझा गया हो तो न्यायालय विशेष परिस्थितियों में धारा 13(1)(ग) के अधीन विशेष परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 13(2)के अधीन न्यायालय अथवा जिला दण्डाधिकारी विशेष परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति कर सकेंगे।

13 **परिवीक्षा अधिकारी का चुनाव(पूर्वविचार)-**

1-सामान्यतः स्त्री पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को पुरुष परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में नहीं रखना चाहिये।

2-पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति तथा परिवीक्षा अधिकारी के धार्मिक विश्वासों पर विचार करना चाहिये।

3-किसी विशेष मामले में पर्यवेक्षण के लिये परिवीक्षा अधिकारी का चुनाव करते समय जिला परिवीक्षा अधिकारी से विचार विमर्श किया जावे।

14 **सेवाओं की शर्तें एवं निबन्धन :-**

1(क)-इन नियमों के अध्यधीन रहते हुये राज्य शासन द्वारा नियुक्त परिवीक्षा अधिकारियों की सेवाओं की साधारण शर्तें एवं निबन्धन वे ही रहेंगे जो राज्य शासन द्वारा उसी पंक्ति के अधिकारियों की सेवाओं की शर्तों के लिये विहित हैं।

ख-संस्था द्वारा नियुक्त सवेतन परिवीक्षा अधिकारियों के वेतन, भत्ता एवं सेवाओं की अन्य शर्तें एवं निबन्धन इसके लिए बनाये गये नियमों तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी अथवा राज्य शासन द्वारा नियम 23(3)(ख) के अधीन जारी किये गये सूचना के अनुसार संस्था द्वारा निर्धारित की जावेगी।

ग-भागितकाल परिवीक्षा अधिकारियों को उनके कार्य का स्वरूप तथा उनके कर्तव्यों के परिभाव को ध्यान में रखते हुये(व) निश्चित पारिश्रमिक दिया जावेगा अथवा(ख) भत्ता दिया जावेगा अथवा वह बिना किसी पारिश्रमिक को लेते हुये कार्य कर सकेगा।

घ-विशेष परिवीक्षा अधिकारी को, यदि न्यायालय ऐसा निर्देश देवे तो अपराधी के पर्यवेक्षण के लिये उसे भागितकाल परिवीक्षा अधिकारी के लिये विहित दर से पारिश्रमिक अथवा भत्ता दिया जावेगा।

1-प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी को प्रपत्र-1 के अनुसार अभिज्ञान पत्र दिया जावेगा। वह उसका उपयोग तभी कर सकेगा जब वह परिवीक्षा सम्बन्धी कार्य में संलग्न हो तथा उससे परिवीक्षा का कार्य निलम्बन अथवा समाप्ति की दशा में वह मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को वापिस करेगा।

4-परिवीक्षा अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व

15 **विभागीय दायित्व-**

1-हर एक परिवीक्षा अधिकारी मुख्य परिवीक्षा अधिकारी तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करेगें।

2-जैसे ही अपराधी को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे रखा जाये वह जिला परिवीक्षा अधिकारी को इसके सम्बन्ध मे अन्य विवरण भी जैसे मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी विनीत करें, प्रेषित करेगा।

3-प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी-

क-जिला परिवीक्षा अधिकारी का पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के प्रगति के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट|प्रपत्र-7 में| तथा दण्डादेश पूर्व की जांच रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्ट न्यायालय अथवा जिला दण्डाधिकारी को।

ख-मुख्य परिवीक्षा अधिकारी अथवा जिला परिवीक्षा अधिकारी को सामयिक एवं सांख्यिकीय जैसे वे चाहे प्रेषित करेगा।

16 **दण्डादेश पूर्व रिपोर्ट-** PSER

1-अधिनियम की धारा 14|क| के प्रयोजन के लिए, परिवीक्षा अधिकारी अपराधी के चरित्र, इतिवृत्त उसके सामाजिक तथा सम्बन्धित स्थितियों के सम्बन्ध मे उसके परिवार की आर्थिक तथा अन्य परिस्थिति तथा उसके द्वारा अपराध करने की परिस्थिति तथा अन्य तथ्यों की प्रत्यक्ष सम्पूर्ण तथा विश्वास जांच कर उसकी रिपोर्ट की जो लगभग प्रपत्र-3 मे होगी, तैयार करेगा।

2-न्यायालय द्वारा अपराधी को दोषी पाने की दशा में उसके साथ फिर जाने के व्यवहार का विनिश्चय करने, मामले का संक्षिप्त विवरण तथा तथ्य परिवीक्षा अधिकारी के मामले के सम्बन्ध में निर्धारण करने में न्यायालय की सहायता करेगा।

3-उक्त रिपोर्ट गोपनीय होगी तथा उसे सील बन्द लिफाफे में न्यायालय द्वारा तिथि पर अथवा निर्णय देने के पूर्व न्यायालय को प्रेषित करेगा।

17 **पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का पर्यवेक्षण**-परिवीक्षा अधिकारी पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के मित्र तथा मार्गदर्शन जैसे कार्य करेगा। इसके प्रयोजन के लिए वह पर्यवेक्षण आदेश के अध्यधीन रहते हुए पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को नियत मासिक अवाय में उससे मिलने को कहेगा, उससे मिलेगा ताकि वह उससे निकट सम्पर्क में रहे।

2-परिवीक्षा अधिकारी पहली मुलाकात में-

क-परिवेक्षणाधीन व्यक्ति को पर्यवेक्षण आदेश की शर्तों को समझावेगा।

ख-उसे अपना आचरण कैसे रखना है उसकी सलाह देगा, तथा

ग-वह उक्त अधिकारी को किस दिन मिले वह निश्चित करेगा। मिलने का समय तथा स्थान यथा सम्भव ऐसा निर्धारित किया जावेगा कि जिससे उस व्यक्ति को अकारण कठिनाई न हो तथा उसकी उचित एकांतता बनी रहे, तथा उस व्यक्ति को सूचित करेगा कि किसी भी शर्तों के उल्लंघन के लिए उसे सन्तोषजनक जवाब देना होगा।

3-परिवीक्षा अधिकारी समय-समय पर उसकी प्रगति देखने के लिए उसके निवास तथा व्यवसायिक स्थान पर जाकर उससे मुलाकात करेगा उसकी प्रगति तथा उसकी कठिनाईयां, यदि कोई हो, तो आकलन करेगा।

परन्तु शाला अथवा महाविद्यालय के अध्ययन कर रहे किशोर व्यक्तियों के सम्बन्ध में वह उससे शाला में मुलाकात नहीं करेगा किन्तु उसकी उपस्थिति, आचरण तथा प्रगति के बारे मे उक्त विद्यालय के शिक्षक अथवा प्रमुख से उसके बिना किसी विपरीत हित के करते हुये जानकारी लेवेगा।

4-वह मुलाकातों की संख्या उसके आचरण तथा जीवन के ढंग पर तथा उसके सुधार पर निर्भर रहेगा किन्तु मुलाकातों की संख्या, यदि न्यायालय ने अन्यथा निर्देश न दिया हो तो,

क-प्रथम माह में सप्ताह में एक बार से,

ख-पर्यवेक्षण के बाकी सारे अवधि में कम से कम पन्द्रह दिन में एक बार,

ग-शेष अवधि में माह में एक बार से कम नहीं होगी।

5-परिवीक्षा अधिकारी, उपदेशों से, सलाह से मानने से, तथा सहायता से तथा आवश्यकता हो वहाँ चेतावनी देकर पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति से-

क-पर्यवेक्षण के आदेश की शर्तों का उल्लंघन न करने तथा अन्य अपराध न करने तथा कानून के अनुसार जीवनयापन करने।

ख-उसका आचरण, समाज की ओर प्रवृत्ति, आदतें, चरित्र तथा नैतिकता में सुधार लेया हो कि वह अपराधिक जीवन की ओर न जाये, प्रयत्न करेगा।

6-परिवीक्षा अधिकारी ऐसा उपाय करेगा कि पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के आचरण में सुधार होने तथा उसके लिए पर्यवेक्षण के लिए वह आवश्यक समझे।

18 न्यायालय के सम्बन्ध में कर्तव्य-(1)पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के आचरण के लिए आवश्यक हो तो पर्यवेक्षण की शर्तों को संशोधन, लोपित करके उसमें परिवर्तन करने के लिए न्यायालय को सम्प्रेषण करेगा।

(2)यदि परिवीक्षा अधिकारी की राय में पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के सुधार के कारण उसे पर्यवेक्षण में रखना आवश्यक नहीं है तो वह मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से न्यायालय को धारा 8(3)के अधीन उस व्यक्ति के बन्ध पत्र के उन्मोचन के लिए आवेदन करेगा।

3-यदि पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति बन्धपत्र की शर्तों के पालन में अपयुक्त होता है अथवा ऐसा आचरण करता है कि जिससे यह प्रतीत हो कि वह पर्यवेक्षण आदेश की बन्धपत्र की शर्तों का पालन नहीं कर सकेगा, परिवीक्षा अधिकारी को जैसी उचित कार्यवाही करना समीचीन हो वह न्यायालय अथवा जिला दण्डाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

4-अधिनियम की धारा 11 में की गई जांच तथा पूर्ण निरीक्षण के सम्बन्ध में परिवीक्षा अधिकारी जिला परिवीक्षा अधिकारी से विचार विमर्श करेगा।

19 जिला दण्डाधिकारी के सम्बन्ध में कर्तव्य-परिवीक्षा अधिकारी(1)जिला दण्डाधिकारी अथवा उसके द्वारा मनोनीत कोई अनुविभागीय अधिकारी के पद से अधिक के अधिकारी के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में निर्देशों का पालन करेगा।

2-वह न्यायालय के समक्ष के कार्य में जिला दण्डाधिकारी के चाहने पर रिपोर्ट प्रेषित करेगा जो सम्भव धारा 8 के अनुसार होगा।

3-जिला दण्डाधिकारी को

क-ऐसे मामलों में जहाँ पर्यवेक्षण आदेश अथवा बन्धपत्र की शर्तों में निम्न बातें सम्मिलित हों-

1-वह व्यक्ति के निवास बदलने,

2-उसके द्वारा पेशा अपनाने,

3-आदेश या बन्धपत्र का उल्लंघन करने,

4-उस व्यक्ति के [illegible] की योजना बनाने के बारे में।

ख-उस व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण की कालावधि में उसके [illegible] अपराध करने के लिए प्रयत्न करने सम्भावना ऐसे [illegible] पर ऐसा प्रभाव डालने कि जिससे उसके सुधार पर विपरीत परिणाम हो सके

ग-उस व्यक्ति के परिवार से बाधा डालने के लिए, यदि कोई हो, तो वह रिपोर्ट करेगा।

20 **पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति का देखरेख के बाद पुर्नवसन**-।।।परिवीक्षा अधिकारी उस व्यक्ति के समाज के पुर्नवसन के लिए सहायता करेगा ताकि वह पुनः अपराध प्रवृति की ओर न झुके उस व्यक्ति के समाज इसके लिए परिवीक्षा अधिकारी उसके-

क-प्रशिक्षण सुविधा के लिए

ख-नियोजक के अवसर के लिए

ग-आवश्यक आर्थिक सहायता के लिए

घ-ऐसे व्यक्तियों से तथा संस्थाओं से सम्पर्क एवं समाज उपयोगी संस्था-जैसे बाल स्काउट, गर्ल गाईड्स, युवा संगठन तथा सामाजिक परियोजनाओं से सम्पर्क करेगें।

2-परिवीक्षा अधिकारी उन्मोचन किये गए पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखेगा ताकि उसमें सुधार हो तथा पुर्नवसन हो जैसे मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा विहित हो,

3-परिवीक्षा अधिकारी, यथा संभव आगे उनकी देखभाल की जाने वाली योजना में सम्मिलित होगा।

21 **परिवीक्षा अधिकारियों के अन्य कर्तव्य**-

परिवीक्षा अधिकारी निम्न कार्य भी करेगें:-

1-परिवीक्षा के पद्धति के समर्थन प्राप्त करने के लिए जनता को प्रशिक्षित करेगा।

2-सामाजिक सुरक्षा के लिए जन साधारण को सहायता एवं सहयोग को प्रेरित करेगा।

3-नियम-31 के अधीन दिए गए किसी संस्था के अथवा आवास का प्रभारी रहेगा।

4-राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन के लिए अन्य सौंपे गए कार्य करेगा।

22 **परिवीक्षा अधिकारी द्वारा कोई जानकारी प्रकट न करना**-परिवीक्षा अधिकारी द्वारा परिवीक्षा के कार्य की कोई जानकारी अनधिकृत व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा तथा वह केवल उसी अधिकारी को देवेगा जिसे पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के हित में नियमानुसार देना आवश्यक है।

5- संस्था की मान्यता

23 **संस्था की मान्यता**-संस्था जो कम से कम सात वर्ष से प्राथमिकता निम्न प्रकार के कार्य में संलग्न है वह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा।।। के खण्ड।ब। के अधीन मान्यता करने के पात्र है-

क- सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सम्मिलित है, अपराधियों की देखभाल तथा उन्मोचित हुये कैदियों की देखभाल एवं सहायता तथा छुडाई गई तथा परित्यागित महिलाओं तथा बच्चो के संरक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए कार्य करना।

ख-शैक्षणिक तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कार्य, तथा

ग-धार्मिक तथा परमार्थिक कार्य तथा खण्ड।क।में उल्लेखित व्यक्तियों का सहायता एवं पुर्नवसन के कार्य में अभिरुचिसहित कार्य।

2-उपनियम।।।में पात्रता रखने वाली एवं मान्यता प्राप्त करने हेतु इच्छुक संस्था अपने नियम, उपनियम, विधान, नियमावली, सदस्यों की सूची तथा उसके पदाधिकारियों की सूची तथा उसके हैसियत दर्शाने वाले कथन तथा सामाजिक एवं जनसेवाओं का पिछला रिपोर्ट केसाथ राज्य शासन को मान्यता प्राप्त करने, आवेदन करेगी।

3-राज्य शासन, उसकी प्रतिष्ठा, सामाजिक तथा सेवाओं का पिछला रिकार्ड एवं उनकी वर्तमान स्थिति की आवश्यक जाँच कर तथा संस्था द्वारा उसको सौंपे गये कार्यो के लिए आवश्यक आर्थिक क्षमता तथा अनुभव का समाधान करने पर निम्न शर्तो के साथ मान्यता प्रदान कर सकेगा-

क-राज्य शासन अथवान्यायालय द्वारा चाहने पर वैसे परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध करायेगा।

ख-राज्य शासन तथा मुख्य नियन्त्रक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशो का तथा नियमों का पालन करेगा तथा देखेगा कि वे परिवीक्षा अधिकारी तथा संस्था के अन्य व्यक्ति अथवा नियम 31 में उल्लेखित संस्थाए उसका पालन करें, एवं

ग-राज्य शासन द्वारा कभी भी चाहने पर आर्थिक स्थिति का कथन कि जिसमें तुलन पत्र तथा ऑडिटेड रिपोर्ट, यदि कोई हो सम्मिलित है, प्रस्तुत करेगा।

4-राज्य शासन संस्था को तीन माह का नोटिस देने पर उपनियम|1| में प्रदत्त की गई मान्यता वापिस ले सकेगा। मान्यता प्राप्त संस्था भी शासन को 3 माह का नोटिस देने पर मान्यता वापिस कर सकेगा।

24 **संस्था को साहयकी-** |1|मान्यता प्राप्त संस्था परिवीक्षा के कार्य के लिए राज्य शासन से साहयकी चाहते है तो निम्न बातों के साथ मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को आवेदन प्रेषित करेंगे:-

क-परिवीक्षा अधिकारी के वेतन, भत्ते एवं सेवाओ की शर्तो के सम्बन्ध मे उसकी नियमावली तथा संस्था एवं नियम 3। में वर्णित अन्य स्थानों के व्यवस्था के सम्बन्ध मे उसकी नियमावली, यदि कोई हो, एवं

ख-अन्य जानकारी जो चाही गई हो।

2-राज्य शासन मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी की सिफारिस पर, योग्य मामलो में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जिस अवधि के लिए उचित समझे साहयकी दे सकेंगे।

3-जिस संस्था को साहयकी प्रदत्त की गई है वह-

वार्षिक प्रतिवेदन एवं आडिटेड हिसाब तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा चाहने पर अन्य रिपोर्ट पेश करेगा।

2-पर्यवेक्षण के कार्य का स्तर बनाए रखेगे तथा संस्था तथा अन्य स्थान जो नियम 3। मे उल्लेखित है उनकी व्यवस्था बनाए रखेगा कि जिससे मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी का समाधान हो, तथा

3-सम्बन्धित अधिकारियों को निरीक्षण की सभी सुविधा प्रदान करेंगे।

25 **परिवीक्षा अधिकारी का नियन्त्रण-**

1|क|यदि, संस्था द्वारा नियुक्त किया गया परिवीक्षा अधिकारी अधिनियम तथा नियमों के अधीन सौंपे गये कार्य संचालन में तथा कर्तव्यो के निर्वाह में असफल पाया जाता है अथवा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के आदेशो का उल्लंघन करता है अथवा राज्य शासन द्वारा इस कार्य के लिए बनाए गये उपबन्धो का उल्लंघन करता है और उसका आचरण ऐसा है तो न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी अथवा जिला परिवीक्षा अधिकारी इस बात से संस्था को अवगत कराएगा एवं उस रिपोर्ट पर संस्था उचित कार्यवाही करेगी तथा उसके द्वारा की गई कार्यवाही से जिला परिवीक्षा अधिकारी को अवगत करेगी।

ख-परिवीक्षा अधिकारी के सम्बन्ध मे प्राप्त शिकायतों की जिससे उसकी योग्यता पर प्रभाव पड़ता हो उसकी जांच करेगी जिन जो उसके मत में आवश्यक है तथा जब कभी आवश्यक हो उस पर अनुशासनिक कार्यवाही करेगी।

2-संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए परिवीक्षा अधिकारी मुख्य नियन्त्रक अधिकारी अथवा राज्य शासन द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अन्य अधिकारी के अध्यधीन मे रहते हुये उनके मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में रहेंगे

6- न्यायालय तथा जिला दण्डाधिकारियों की प्रक्रिया

क-न्यायालयाधीन प्रक्रिया-

26 |1|न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी को अपराधी के चरित्र, इतिवृत, अपराध घटित होने की परिस्थिति तथा अन्य बातों के बारे मे जांच करने के निर्देश|जो यथासंभव लगभग प्रपत्र 2 के समान| देवेगा तथा विहित तिथि को, जो कि सामान्यतः निर्णय देने की तिथि होगी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देवेगा। न्यायालय अपराधी को दोषी पाये जाने पर उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करेगा, यदि वह दोषी नहीं पाया जाता तो भविष्य के निर्देश के लिए अभिलेख मे रखने हेतु परिवीक्षा अधिकारी को वह वापिस करेगा।

2-न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी को जैसा चाहिये अपराधी के चिकित्सीय अथवा मानसिक परीक्षा भी आगे अन्वेक्षण करने का निर्देश देवेंगे तथा धारा 3, 4, 5, 6 तथा 7 के प्रयोजन के विनिश्चय के लिए उक्त रिपोर्ट देखेंगे।

25 किस गए प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रपत्रों का प्रयोग किया जायेगा:-

क-प्रपत्र 4-अधिनियम की धारा 4|1|के अधीन सदाचरण के लिये बन्धपत्र देने के लिए।

ख-प्रपत्र 5-अधिनियम की धारा 4|3|के अधीन पर्यवेक्षण आदेश के लिए।

ग-प्रपत्र 6-अधिनियम की धारा 4|4|के अधीन अपराधी द्वारा परिवचन के लिए।

28 न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से चाहेगा कि वह निश्चित तिथि पर अथवा निश्चित कालवधि पर उसके अधीन पर्यवेक्षणाधीन अपराधी के सुधार, आचरण, उसके जीवन के रीति की धारा 8 तथा 9 के प्रयोजन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

29 यदि न्यायालय के अधीन संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवीक्षा अधिकारी को धारा 4|3| के अधीन पर्यवेक्षण आदेश पारित कर, नियुक्त करना है तो उसकी प्रति वह संस्था को भेजेगा।

ख-जिला दण्डाधिकारी के कार्य-

30 जिला दण्डाधिकारी अथवा अन्य उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो उपखण्ड अधिकारी की श्रेणी से कम न हो।

क-उसके क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों का तथा उनके कार्यों का निरक्षण करेंगे।

ख-पर्यवेक्षण के कार्य के सम्बन्ध में उनके कार्यान्वयन के लिये उसके काम में तुरन्त आवश्यक है ऐसा समझने पर परिवीक्षा अधिकारी का निर्देश देवेंगे।

ग-उपरोक्त अथवा अन्य तथ्यों का उसका सप्रेक्षण अथवा रिपोर्ट जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को भेजेंगे।

7 पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का निवास

31 **पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों को प्राप्त करने हेतु संस्थायें अथवा अन्य स्थान-**

1-पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों को पर्यवेक्षण आदेश के अधीन निवास करने के लिए प्राप्त करने हेतु राज्य शासन ऐसे संस्था का व्यवस्थापन करेगा अथवा इस प्रयोजन के लिये निर्धारित शर्तों के साथ |जिसमें उसके व्यवस्थापन एवं निरीक्षण की शर्तें सम्मिलित हैं|किसी संस्था को अनुमोदित करेगा।

2-ऐसी संस्था तथा स्थानों का व्यवस्थापन एवं निरीक्षण राज्य शासन द्वारा समय समय पर दिए निर्देशानुसार होगा।

32 **पर्यवेक्षणाधीनों की ऐसी संस्थाएं अथवा स्थानों पर निवास-**

1-यदि परिवीक्षा अधिकारी की राय में पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को इस आधार पर कि उसका कोई स्थायी निवास नहीं है, अथवा उसके पर्यवेक्षण के लिये उपयुक्त निवास नहीं है, अथवा उसके घर का वातावरण पर्यवेक्षण आदेश के फल प्राप्ति के विपरीत है अथवा पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति के लिये ऐसी संस्था अथवा स्थानों में कि जिसका उल्लेख नियम 31 में किया है रखना उपयुक्त है तो वह ऐसी संस्था में निवास के लिये उसको कह सकेगा।

2-न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण आदेश की शर्तों के अनुसार पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के बन्धपत्र के अधीन उसको ऐसी संस्था में निवास के लिये कहा जा सकेगा।

33 **निवास में परिवर्तन-**

1-बन्ध पत्रों की शर्तों के अनुरूप, जबकि वह व्यक्ति पर्यवेक्षण में हो, यदि वह निवास स्थान का परिवर्तन करता हो या निवास का परिवर्तन प्रस्तावित हो जो उस परिवीक्षा अधिकारी के क्षेत्र से बाहर हो तो वह निम्नानुसार अनुमति देवेगा:-

क-परिवीक्षा अधिकारी से यदि उसका मुकाम 15 दिन से अधिक न हो।

ख-जिला परिवीक्षा अधिकारी से परिवीक्षा अधिकारी की सिफारिश पर यदि मुकाम 3 माह से कम परन्तु 15 दिन से अधिक अवधि के लिये है।

ग-न्यायालय से, परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर यदि वह मुकाम 3 माह से अधिक अवधि के लिये है।

2-यदि वह परिवर्तन 15 दिन से अधिक होने के लिये है तो वह व्यक्ति परिवर्तित क्षेत्र के परिवीक्षा अधिकारी को नियत तिथि के पूर्व अपनी उपस्थिति रिपोर्ट करेगा।

3-परिवर्तित निवास स्थान के परिवीक्षा अधिकारी उस व्यक्ति के पहुंचने की सूचना मूल परिवीक्षा अधिकारी को देवेगा तथा ऐसी अन्य रिपोर्ट जो मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा चाही हो वह सम्बन्धित जिला दण्डाधिकारी तथा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

4-उपनियम|1|में बताई गई कालवधि एक माह से अधिक की होती है जो परिवर्तित स्थान के जिला दण्डाधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा |3|2|के अधीन नये परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी।

6 अभिलेख

34 **परिवीक्षा अधिकारी द्वारा रखे गये अभिलेख-**

1-परिवीक्षा अधिकारी निम्न अभिलेख रखेगा:-

क-दैनंदिनी कि जिसके उसके दैनिक कार्य जिसमें सम्मिलित है, प्राथमिक जांच न्यायालय में उपस्थित, पर्यवेक्षणाधीनों से मुलाकात, संस्थाओं की भेंट: तथा नियम 31 में दर्शित स्थानों तथा संस्थाओं की मुलाकात, दैनंदिनी की प्रति प्रति सप्ताह जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजी जावेगी।

ख-प्राथमिक जांच रिपोर्ट जो न्यायालय को प्रेषित की गई है, उसकी फाईल।

ग-न्यायालयों के आदेश और उस पर जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने के विवरण का रजिस्टर।

घ-पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति की फाईल जो प्रपत्र 8 में हो जिसमें:-

1-प्रथम पृष्ठ जिसमें पर्यवेक्षणाधीन के मामले का प्रमुख विवरण।

2-पर्यवेक्षणाधीन का इतिवृत, चरि., उसके पारिवारिक एवं अन्य जानकारी तथा अपराध घटित घटित होने की परिस्थिति, उसके सुधार तथा पर्यवेक्षण अवधि में अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण रहेगा।

3-दण्डादेश पूर्ण रिपोर्ट की प्रतिलिपि न्यायालय के आदेश बन्ध-पत्र निबन्धन एवं इतिवृत तालिका सहित उसका अन्य विवरण।

च-इन्डेक्स कार्ड एवं पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों वर्णानुक्रम, रजिस्टर|यथासम्भव लगभग प्रपत्र 9 के अनुसार|

छ-पर्यवेक्षणाधीनों के कारण जो निधी खर्च की गई उसका रजिस्टर जिसमें:-

1-नियम 31 के दर्शित स्थानों एवं संस्थाओं की पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों को रखरखाव के लिये भुगतान किये गये खर्च की राशि।

2-उक्त स्थानों एवं संस्था में आने जाने के लिये पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को दिया गया प्रवास खर्च।

3-परिवीक्षा अधिकारी के पास आने को दिया गया प्रवास खर्च।

4-उन व्यक्तियों को दी गई अन्य आर्थिक सहायता।

ज-मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी तथा मुख्य परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर विहित अन्य अभिलेख:-

1-भागितकाल परिवीक्षा अधिकारियों के मामलों में उपनियम खण्ड|घ||ग||च|तथा|छ|के अभिलेख जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखे जावेंगे।

2-विशेष परिवीक्षा अधिकारी उप नियम|1|के खण्ड|क| तथा|ख| के अभिलेख रखेगा तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर विहित अन्य जानकारी जिला परिवीक्षा अधिकारी, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी तथा मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

35 **अभिलेखों का परिरक्षण-**|1|प्रत्येक पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के मामले की फाईल जो परिवीक्षा अधिकारी के पास रहती है उसे वह पर्यवेक्षण आदेश के समाप्ति से कम से कम दस वर्ष तक परिरक्षण में रहेगा।

2-दैनंदिनी प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर को पूर्ण कर उसे मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के गोपनीय अभिलेख में जमा कर दी जावेगी। उसकी हर एक जिल्द जमा करने से दस वर्ष तक परिरक्षण में रखी जावेगी।

3-अभिज्ञान-पत्र एवं वर्णानुक्रम रजिस्टर हस्तिवृत तालिका समाप्त करने से दस वर्ष तक रखा जावेगा।

36 **निरीक्षण पुस्तिका**- परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण पुस्तिका रखी जावेगी। भागिसकाल परिवीक्षा अधिकारियों की निरीक्षण पुस्तिका जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में रखी जावेगी मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी जिला दण्डाधिकारी तथा इस कार्य के लिये प्राधिकृत अन्य व्यक्ति उसमें सैपेक्षण नोट करेंगे। वे सैपेक्षण परिवीक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी सहित मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित करेगा।

37 **जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा रखे गये अभिलेख**-मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी के विहित रीति से जिला परिवीक्षा अधिकारी-

1-जिले में उसके अधिकार क्षेत्र में परिवीक्षा अधिकारियों की सूची,

2-उस क्षेत्र में नियम 31 के अनुसार स्थान तथा संस्थाओं की सूची,

3-जिले में पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति का विवरण जिसमें मामले का संक्षिप्त विवरण महत्वपूर्ण, दस्तावेजों की प्रतिलिपि जो परिवीक्षा अधिकारी के साथ हैं,

4-परिवीक्षा अधिकारियों से प्राप्त हुये पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का रजिस्टर|जो यथा सम्भव लगभग प्रपत्र 7 में होगा|,

5-परिवीक्षा अधिकारियों की निरीक्षण पुस्तिका जिसमें परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय के निरीक्षण के नोट हों तथा रिपोर्ट की प्रति लिपियां मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रेषित की जावेगी,

6-जिले में नियम 31 में दर्शाए अनुसार स्थान तथा संस्था में निवास कर रहे पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का रजिस्टर

7-जिले में पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों को भुगतान का रजिस्टर,

8-जिले के संस्थाओं को भुगतान का रजिस्टर,

9-मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित ऐसे अभिलेख जिसको रखने को कहा गया हो।

9 प्रकीर्ण

38 **पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निजी कार्य के लिए नियोजन नहीं करना**-उस पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति को जो कि उसके पर्यवेक्षणाधीन रखा गया है कोई परिवीक्षा अधिकारी अपने निजी कार्य के लिये उससे निजी सेवा लेने के लिये नियोजित नहीं करेगा।

39 **सांख्यिकीय का प्रस्तुतीकरण**-प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी जनवरी तथा जुलाई में निज कार्यालयीन प्रतिवेदन सम्बन्धित जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजेगा जो इन सभी को सम्मिलित करने हेतु मुख्य परिवीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा:-

1-पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों की संख्या,

2-उन व्यक्तियों का नियोजन,

3-उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 8 के अधीन आदेश में पुनरावलोकन किया गया एवं धारा 9 के अधीन बन्धपत्र की शर्तों के उल्लंघन के कारण कार्यवाही की गई,

4-उसकेक्षेत्राधिकार में अपराधियों की संख्या,

क-धारा 3 के अधीन सम्यक भर्त्सना के पश्चात उन्मोचित किए गए,

ख-पर्यवेक्षण के बिना धारा 4|1| में छोड़े गये,

ग-21वर्ष से कम आयु के होने हुए भी उन्हें कारावास का दण्ड दिया गया।

यह जानकारी लिंग, आयु|21 वर्ष से उम्र तथा 21 वर्ष तथा 16 वर्ष के बीच व 16 वर्ष से कम| अपराधी की प्रकृति|जैसे प्रथम अपराधी, द्वितीय अपराधी, आदतन अपराधी| एवं अपराध का गांभीर्य आदि पृथक पृथक रखेगा।

परन्तु भागितकाल परिवीक्षा अधिकारी के मामले में यह अभिलेख जिला परिवीक्षा के कार्यालय द्वारा सम्पादित कर रखा जावेगा।

========

प्रपत्र-1

(देखिये नियम 14(2)(क))

(मुख पृष्ठ)

राजस्थान शासन

परिवीक्षा विभाग

अभिज्ञान पत्र

(पिछला पृष्ठ)

1-यह पत्र धारक को, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सवैतनिक परिवीक्षा अधिकारी की अनन्यता स्थापित करने के लिये है।

2-धारक इस पत्र को अपने कब्जे के अभिरक्षा में रखेगा तथा उसकी पूर्ण अभिरक्षा के लिये जिम्मेदार रहेगा। उस के गुमने या लुप्त होने की सूचना मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी को तुरन्त देनी होगी।

3-जब धारक को निलम्बन किया जाय अथवा पदमुक्त किया जाय तो वह पत्र मुख्य नियन्त्रक प्राधिकारी वापिस लौटाना होगा।

4-यदि इस पत्र का दुरुपयोग किया गया तो इस पत्र का धारक अनुशासनिक कार्यवाही के लिये बाध्य होगा।

(अन्दर में)

क्रमांक:-

पूर्ण नाम

नियुक्त पद

यहां से
मोड़िये

धारक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक

धारक का फोटो

मुख्य परिवीक्षा अधिकारी

दिनांक

प्रपत्र-2

(देखिये नियम 26(1))

(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) के अधीन आदेश)

परिवीक्षा अधिकारी.....

यतः अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(2) के अधीन अथवा धारा.....के अधीन कार्यवाही करने के लिए

नाम.....

आत्मज.....

पूर्वपता.....को क्रमांक.....के अनुसार धारा.....के अधीन न्यायालय के समक्ष लाया गया है। एतद् द्वारा मुझे निर्देश दिया जाता है कि जांच कर आवश्यक जानकारी संग्रहित कर अथवा संग्रहित करने की व्यवस्था कर यह दिनांक.....के पूर्व न्यायालय को प्रस्तुत करें।

न्यायालय की मुहर

सेशन न्यायालय के हस्ताक्षरकारी

प्रपत्र-3

। देखिये नियम 16|1| ।

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन|

क्रमांक.....समक्ष न्यायालय.....

स्थान..... जिला.....

स्थान.....

मा-क..... 19 सुनवाई दिनांक.....अपराध

राज्य-----|पुलिस स्टेशन|.....अपराध क्रमांक.....

अपराधी का नाम.....

पता|निवास|.....

आयु.....

लिंग तथा सम्प्रदाय.....

व्यौरागत इतिवृत

आचरण, आदतें, स्वभाव, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, आराम के समय के कार्यकलाप

आदतों प्रभाव

ज्ञाता का अभिलेख एवं शिक्षण की रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो

नियोजन इतिवृत

वर्तमान में व्यवसाय एवं वेतन

नियोजन की रिपोर्ट, यदि कोई हो

साक्षी

सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से सम्पर्क

घरेलू स्थिति

परिवार का इतिवृत

क- पिता

ख- माता

ग- सौतेला पिता

घ- सौतेली माता

ङ- बन्धु

च- बहनें

छ- पत्नी

ज- बच्चे

झ अन्य हितबद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हो,

परिवार की आर्थिक स्थिति

परिवार में कोई सामाजिक संस्थाएं या व्यक्ति हितबद्ध है ?

पालक एवं रिश्तेदारों की रिपोर्ट

परिवार का अपराधी के प्रति रुख एवं उनका उस पर प्रभाव

पड़ोसी की रिपोर्ट

घरेलू वातावरण

क्या अपराध का कारण आर्थिक गरीबी या अपरीनियंत्रित जीवन है?

कानूनी इतिवृत

संस्थागत पूर्व रिकार्ड|यदि कोई हो|

अपराध करने की परिस्थिति का कारण

अपराध के सम्बन्ध मे अपराधी की प्रतिक्रिया एवं संभावित दण्ड के प्रति उसका स्व न्यायालय द्वारा चाही गई विशेष जानकारी

संकेत

क-अपराधी के सुसंगत पूर्व इतिहास, उसका व्यवहार एवं अपराध

ख-निदान|अपराधी की प्रवृति, चरित्र अथवा परिवार में त्रुटि और अपराध के सम्बन्ध में अन्य सुसंगत तथ्य|

ग-उपचार

घ-सिफारिश|यदि न्यायालय द्वारा मांगी गई हो तो|

परिवीक्षा अधिकारी का नाम व पता

राज्य

दिनांक

मामले के निपटाने की प्रकृति

निपटाने की तिथि

परिवीक्षा अधिकारी

प्रपत्र-4

परिशांति रखने तथा सदाचार का बन्धपत्र

|अपराधी परिवीक्षा अधि॰ 1958 की धारा 4|1|के अधीन|

समक्ष न्यायालय.....दण्डाधिकारी

प्रकरण क्रमांक.....

यतः मैं-.....

निवासी.....

न्यायालय द्वारा..... की अवधि में आहूत किए जाने पर दण्डादेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने के बन्ध पत्र किए जाने पर छोड़े जाने के लिए आदेशित हुआ हूँ।

मैं एतद् द्वारा स्वं को संयित करता हूँ कि-

1-आहूत किए जाने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करूँगा।

2-परिशांति भंग नहीं करूंगा अथवा ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे परिशांति भंग होने की संभावना हो।

3-शासन को तथा भारत के नागरिकों के प्रति.....अवधि के लिए सदाचारी रहूँगा। यदि मेरे द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाये तो मैं शासन को .....रु॰ समापहरण के लिए जिम्मेदार रहूँगा।

दिनांकः-

हस्ताक्षर

मेरे समक्ष सम्पादित किया

|यदि प्रतिभू सहित बंधपत्र लेना हो तो जोड़िये|

हम एतद् द्वारा घोषित करते हैं कि हम उपर निर्देशित के लिए प्रतिभू हैं और वह-

1-आहूत किए जाने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करेगा।

2-परिशांति भंग नहीं करेगा तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे परिशांति भंग होने का कारण हो।

3-राज्य शासन तथा भारत के सभी नागरिकों के प्रति उक्त अवधि में सदाचारी रहेगा।

यदि उसने इसका उल्लंघन किया तो हम स्वयं बंधित करते हैं कि हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक रीति से शासन करे मु० ब.....समापकरण के लिए जिम्मेदार रहेंगे।

दिनांक हस्ताक्षर

प्रपत्र-5

|देखिये नियम 27(क)|

पर्यवेक्षण आदेश

|अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4|3| के अधीन|

न्यायालय समक्ष.....

की यह आज निम्न अपराध का दोष पाया गया

|अपराध का विवरण लिखिए|

|धारा 4|3| के अधीन आदेश पारित करने के कारण लिखिए|

उपरोक्त कारणों से मेरा समाधान हो गया है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा|3| के अधीन आदेश पारित करना उचित है अतः मैं एतद् द्वारा आदेश देता हूँ कि वह धारा 4|1| के अधीन बंधपत्र देने पर की जिसमें.....परिवीक्षा अधिकारी के .....अवधि के लिए पर्यवेक्षणाधीन रहने की शर्तें रहेंगी तथा निम्न अन्य शर्तों का बंधपत्र देवेगाः-

1-यह की यह आदेश पारित होने के 14 दिन में.....परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष आदेश तथा उसके द्वारा सम्पादित बंधपत्र की प्रतिलिपियों के साथ उपस्थित रहेगा।

2- यह की वह उक्त परिवीक्षा अधिकारी के अथवा उसके स्थान पर नियुक्त अन्य अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन रहने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा तथा उनके निर्देशों की पालना करेगा।

3-वह न्यायालय की अनुमति के बिना तथा परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किए बिना न तो निवास स्थान बदलेगा और ना ही न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जायेगा।

4-वह दुश्चरित्र व्यक्तियों से संगति में नहीं रहेगा तथा दुराचारी नहीं होगा।

5-वह ईमानदारी से तथा परिशीलित से रहेगा और ईमानदारी का जीवन-यापन करेगा।

6-वह भारत में दण्डनीय कोई अपराध नहीं करेगा।

7-वह नशा पान से अलिप्त रहेगा।

8-वह पर्यवेक्षण के आदेश के लिए परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करेगा।

दिनांक

दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र-6

|देखिये नियम 27(ग)|

|अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4|4| के अधीन|

बंधपत्र

अतः मैं नाम.....निवासी.....स्थान न्यायालय द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा|1| के अधीन.....अवधि में उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करने तथा इस बीच परिशीलित कायम रखकर सदाचारी रहने तथा पर्यवेक्षण आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन करने का बंध पत्र देने पर छोड़ दिया जाने का आदेश दिया गया है, मैं एतद् द्वारा स्वयं को बंधित करता हूँ कि-

1-.....की अवधि में

क-आहूत किए जाने पर उपस्थित होकर दण्डादेश प्राप्त करूंगा ।

ख-परिशांति भंग नहीं करूंगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि जिससे शांति भंग होने की संभावना हो।

ग-मैं शासन से तथा भारत के सभी नागरिकों से सदाचारी रहूंगा।

2-मैं न्यायालय द्वारा पारित पर्यवेक्षण आदेश के 15 दिन में उक्त आदेश में उल्लेखित परिवीक्षा अधिकारी.....के समक्ष उपस्थित होऊंगा तथा आदेश तथा बंधपत्र प्रतिलिपियां उन्हें प्रस्तुत करूंगा।

3-यह कि पर्यवेक्षण आदेश किए गए.....अवधि के लिए निम्न शर्तों का पालन करूंगा:-

क-मैं पर्यवेक्षण के लिए नियत परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उनके स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करूंगा।

ख- मैं परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किए बिना तथा न्यायालय की अनुमति लिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूंगा तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा।

ग-मैं दुश्चरित्र व्यक्तियों के साथ नहीं रहूंगा तथा दुराचारी जीवन-यापन नहीं करूंगा।

घ-मैं ईमानदारी से तथा शांतिपूर्वक जीवन यापन करूंगा तथा रहूंगा।

ङ-मैं भारत में दण्ड योग्य ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा।

च-मैं नशा पान नहीं करूंगा।

छ-पर्यवेक्षण आदेश की शर्तों का पालन करने हेतु परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करूंगा।

यदि मेरे ऊपर निर्देशित शर्तों के पालन में उल्लंघन किया तो मैं स्वयं को शासन द्वारा मु० रु.....के समापहरण के लिए वंचित करता हूं।

दिनांक

हस्ताक्षर

(यदि बंध पत्र प्रतिभू सहित है तो जोड़िये)

हम स्वयं के ऊपर (निर्दिष्ट.....का प्रतिभू घोषित करते है कि वह बंधपत्र में निहित सभी शर्तों का पालन करेगा और यदि उसने उसका उल्लंघन किया तो हम व्यक्तिगत तथा सामुहिक रूप से शासन को मु०रु.....समापहरण के लिए बाध्य रहेंगे।

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रपत्र-7

(देखिये नियम 15(3)क एवं 19(2))

पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति के सुधार की मासिक रिपोर्ट

भाग-1

परिवीक्षा कार्यालय.....गृह के लिए.....रजिस्टर क्रमांक.....न्यायालय.....पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति का..... नाम..... मामला क्र. .....पर्यवेक्षण आदेश का दिनांक..... पता .....पर्यवेक्षण की कालावधि.....

भाग -2

दिनांक

मुलाकात का स्थान

1 यह व्यक्ति का निवास कैसा है ?

2 उसने शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक क्या प्रगति की ?

3 क्या कर्ज चुकता है ? औसत मासिक आय।

4 उसके नाम पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की क्या बचत जमा है ?

5- उसका स्वास्थ्य।

6 उसके आचरण एवं सुधार की साधारण टिप्पणियाँ ।

भाग-3

7 न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए मामला लंबित है वास्ते-

क- धारा 8|1| अथवा 9|1| के उपबन्धों के अधीन बैंक पत्र की शर्तों के मेलजोल, अथवा

ख- नियम के अधीन निवास बदलने के लिए अथवा

ग- अधिनियम की धारा 1|3| के अधीन उन्मोचन के लिए अथवा

घ- अन्य बातों के लिए।

8 पर्यवेक्षण की अवधि कब पूर्ण होगी है।

9 पर्यवेक्षण का पर्याप्तिपूर्ण सहित|

10 उन्मोचन के पश्चात उसका व्यवसाय एवं पता

परिवीक्षा अधिकारी
रिपोर्ट की तिथि पता

प्रति,

जिला परिवीक्षा अधिकारी/न्यायालय
पर्यवेक्षण मुख्य नियन्त्रक अधिकारी।

प्रपत्र-8

| देखिये नियम 34|1||घ||

पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति की केस फाईल

|क| मुख पृष्ठ

परिवीक्षा कार्यालय.....न्यायालय.....

कार्यालय पंजीयन क्रमांक.....क्र. मा. .....

पर्य- व्यक्ति का नाम.....पर्य-आदेश दिनांक.....

पता.....अपराध धारा.....

व्यवसाय.....घर का पता.....

मातृ भाषा.....लिंग.....आयु.....

गिरफ्तार करने का दिनांक, समय तथा स्थान.....

मामले का तथ्य|संक्षेप में|

प्रथम दोषसिद्धि|या|

जाँच के लिए कब निर्देश दिये

किसने जाँच की

जाँच रिपोर्ट कब प्रेषित की गई

मासिक प्रगति रिपोर्ट कब भेजी- प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष

अन्तिम निपटारा एवं दिनांक

|क| संक्षेप

1 परिवार इतिवृत्त एवं उस की स्थिति का संक्षेप

2 शाला का विवरण एवं विद्यालय का इतिवृत्त

3 दोष

4 स्वास्थ्य

5 मानसिक स्थिति

6 पड़ोसियों की स्थिति

7 अन्य प्रमुख घटना एवं पारिवारी

8 मामले का वर्गीकृत विवरण

9 परिवीक्षा अधिकारी के मत

10 अन्तिम आदेश न्यायालय का

11 पर्यवेक्षण की अवधि के प्रोबेशनर के नाम व पते

12 |क| निवास का विवरण

|ख| अन्य विवरण

13 प्रगति रिपोर्ट के कौन मुद्दे

14 आदेश में संशोधन कौन किया है

15 अन्तिम निष्कर्ष

परिवीक्षा अधिकारी

|ग| अन्य अन्तर्वस्तु

1 दण्डादेश पूर्व रिपोर्ट

2 न्यायालय का आदेश

3 पत्रावली की फोटोप्रति

4 पत्र व्यवहार

5 मासिक रिपोर्ट

परिवीक्षा अधिकारी

प्रपत्र- 9

|देखिये नियम 38|1||ई||

पर्यवेक्षणाधीन व्यक्तियों का कालानुक्रम रजिस्टर

क्रमांक	पर्यवेक्षणाधीन व्यक्ति का नाम व पता	लिंग, आयु, धर्म, पहचान के चिन्ह	अपराध धारा तथा संक्षिप्त विवरण सहित	न्यायालय जिसने पर्यवेक्षण का आदेश पारित किया है मुकदमा क्रमांक	पर्यवेक्षण आदेश दिनांक तथा अवधि
1	2	3	4	5	6
परिवीक्षा अधिकारी का नाम	दण्डादेश पूर्व रिपोर्ट पेश की या नहीं|यदि नहीं तो उसका दिनांक एवं क्रमांक	क्या परिवीक्षा अधिकारी संस्था में रहता है या अन्यत्र अपराधियों को कहां लिखा जाता है	प्रतिभूतियों के नाम व पते |यदि कोई हो|	नियोजक यदि कोई है तो उनका नाम पता व्यवसाय वेतन
7	8	9	10	11